न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 113/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/226)

निर्णय दिनांकः–24.07.2025

1. हिन्दू सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील संख्या 114/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/227)

निर्णय दिनांकः–

1. सूरत सिंह पुत्र गेन सिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील संख्या 115/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/228)

निर्णय दिनांकः–

1. स्वरूप सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील संख्या 117/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/229)

निर्णय दिनांकः–

1. भूरसिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील संख्या 119 / 2022
(जीसीएमएस संख्या 2022 / 232)

निर्णय दिनांकः—

1. उम्मेद सिंह पुत्र सावंत सिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपीलें विरूद्व आज्ञा दिनांक 25—11—1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांटस्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 25—11—1987 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र एकतरफा तौर पर तलफ कर दिया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत पांचों अपीलों की विषयवस्तु एवं स्वरूप एक ही होने एवं अपीलाधीन आदेश एक ही होने के कारण पांचों पत्रावलियों का निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति सभी पत्रावलियों में संरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष भूमिहीन श्रेणी के लिए आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके साथ अपीलांट्स द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये एवं सबूतों की जांच के पश्चात अपीलांट्स को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन का पात्र भी मान लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय/आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट्स को आश्वस्त किया गया कि जब भी आवंटन होगा आपको जरिये नोटिस आंवटन की सूचना कर दी जायेगी। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की पत्रावलियां बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकतरफा तौर पर तलफ कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य आदेश है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलांट्स भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति है एवं भूमि पाने का पात्र घोषित है ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को यदि पूर्व में भूमि आवंटन नहीं की गई हो तो अपीलांट्स को पात्रता अनुसार भूमि आवंटन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे। अपीलांट्स को सदैव आश्वसत किया जाता रहा कि जब भी भूमि आवंटन की जायेगी आपको सूचना दे दी जायेगी मगर अपीलांट्स को ना केवल भूमि आवंटन नही की गई मगर अपीलांट्स की भूमिहीन के प्रार्थना पत्र को ही एकतरफा तौर पर तलफ कर दिया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट्स को आदिनांक की पात्रता अनुसार भूमि आवंटन करवाने की कार्यवाही की जावे। **अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का निर्णय दिनांक 16–06–1993 बउनवानी ध्यानसिंह बनाम सरकार एवं माननीय मण्डल का निर्णय दिनांक 04–10–2016 बउनवानी ओमप्रकाश बनाम सरकार प्रस्तुत किये गये।**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने प्रस्तुत अपीलें स्पष्ट तौर पर विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योगय है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट्स के आवेदन पत्रों को तलफ कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट् किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलें खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24–02–2022 को हुई है एवं अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपीलें दिनांक 30–06–2022 को पेश की गई है। जो प्रथम जानकारी से 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में राज्य पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई काऊण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

प्रकरण में मियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे (आरजे) 2014 गोविन्द सिंह बनाम रामविलाय आदि में अभिलिखित किया गया है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। जहॉ सारभूत न्याय तथा तकनीकी आधार में टकराहट हो, सारभूत न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। जहां एकतरफा आदेश पारित किया गया हो वहां मियांद अधिनियम बाधक नहीं होता है इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी यह स्पष्ट किया गया है– **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."**

प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश एकरतफा तौर पर पारित किया गया है।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में राज्यादेश की विधि सम्मत् व्याख्या नहीं किये जाने का मियाद के बिन्दु पर किसी पक्षकार विशेष के अधिकारों का हनन नहीं किये जाने अपितु सारभूत न्याय प्रदान करने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट्स ने भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये। अदालत मातहत द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र एकतरफा तौर पर तलफ कर दिये गये जिसकी कोई सूचना किसी पक्षकार को प्रदान नहीं की गई। अपीलांट्स द्वारा अपने आवंटन आवेदन पत्र की प्रमाणित नकल लेने हेतु जो आवेदन किया उक्त आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया है कि विभागीय विडिंग कमेटी के द्वारा वांछित पत्रावली को निरसन (वीडिंग) कर दिया गया है। पत्रावली के अभाव में नकल दी जानी संभव नही है। उक्त पत्रावली की विडिंग करने से पूर्व अपीलांट्स/आवेदकों को किसी प्रकार की कोई सूचना प्रदान की गई अथवा नहीं? अपीलांट्स को भूमि का पात्र घोषित किया गया अथवा नहीं? उक्त आशयों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध नकल फार्म की प्रमाणित प्रति के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त नकल पर प्रकरण का नाम, पत्रावली संख्या एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक आदि स्पष्टतः उल्लेखित है जिससे यह उपधारणा की जा सकती है कि अपीलांट्स द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये थे।

इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय मण्डल ने यह स्पष्ट किया है कि ''राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1957 के नियम 137 के अनुसार 12 वर्ष तक रिकोर्ड रखा जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 1975 में प्रार्थना पत्र दिया जाना प्रमाणित है। आश्चर्य की बात है कि न्यूनतम समय 12 वर्ष होने पर भी 1986 में रिकोर्ड नष्ट किया जाना बताया गया है। यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही यदि पत्रावली नष्ट भी की जानी थी तो सबंधित आदेश का रिकोर्ड पर रखा जाना आवश्यक है। दिनांक 10–03–1986 के माननीय सदस्य श्री एम डी कोरानी के आदेश में भी प्रार्थी को आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उपनिवेशन आयुक्त को निर्देश दिये जाते है कि वे 3 माह के भीतर प्रार्थी को संबंधित पत्रावली 8458/75 न्यायालय सहायक आयुक्त छत्तरगढ में पारित आदेश दिनांक 24–06–1976 की प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध कराएं। यदि तीन माह में आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो प्रार्थी से आवंटन प्रार्थना पत्र लिया जाकर नियमानुसार उसकी अर्हता को देखते हुए पुनः आदेश जारी करे।''

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलांट द्वारा वर्ष 1985 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये गये थे। जिसमें मिसल नम्बर 3118/85, 2773/85, 2714/85, 3119/85 व 2783/85 जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25–11–1987 को पारित किया गया है।

यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अपीलांट की पत्रावली विभागीय वीडिंग कमेटी द्वारा तलफ कर दी गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस सूरत में प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उच्चतर राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में विचारण किया जाना है एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा भी पूर्व में इसी तरह के प्रकरणों में पारित निर्णयों के आलोक में आगामी कार्यवाही की जानी उचित होगी।

7. अतः उक्त विवेचना एवं माननीय मण्डल के आदेश के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाते है कि वे अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त वर्णित आदेश अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

8. निर्णय आज दिनांक 24.07.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर